18/12/2020	प्रतिवादी पक्ष की बहस उपरान्त वकील वादी ने कोर्ट फीस पर इस कारण हस्ताक्षर किए कि वे वाद-पत्र का अंग्रेजी भाषा तथा उर्दू रूप पर नोटपत्र चस्पां करवाना चाहते हैं वकील वादी का निवेदन स्वीकार कर वाद-पत्र का उर्दू रूप पर नोटपत्र चस्पां किया जाता है। प्रतिवादी को सुनाई एवं जवाब से कब्ल ही दाखिल दफ्तर हो।

22

(सुरेन्द्र कुमार)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Singh
Date: 2021.01.05 17:21:48 IST
Reason: SelfAttested